

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०- एम०- 12/2025

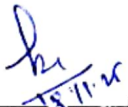
वाद का प्रकार- धारा- 126 भा०ना०सु०सं०

खोड़े भगत -बनाम- सेवाती उराईन

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०- 18/2025 थाना प्रभारी, डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०- 09/2025 दिनांक- 21.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 126 तहत प्रास्तव प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष खोड़े भगत, पे०- स्व० पुयू भगत, सा०- टांगरडीह, थाना- डुमरी, जिला- गुमला एवं द्वितीय पक्ष सेवाती उराईन, पति- जगू उराँव, ग्राम- डुमरी, थाना- डुमरी, जिला गुमला के बीच जमीन विवाद के कारण उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अंकनीय है कि संबंधित पक्षकारों को आपसी जमीन विवाद सुलझाने/निष्पादन हेतु आयोजित थाना दिवस के अवसर पर डुमरी थाना भेजा गया परन्तु दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बनने के कारण समझौता नहीं हुआ। प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण की गई है परन्तु द्वितीय पक्ष सेवाती उराईन द्वारा अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण करने में असफल रही हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति व्यवस्था हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।